न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/544

1. सूरजा उर्फ सूरजमल आत्मज कल्याण आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोजीराम आत्मज जगदीश आुय 35 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हनुमान आत्मज जगदीश आयु 32 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. प्रेम बेवा जगदीश आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. काली बेवा राधाकिशन आयु 65 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. शौभाग आत्मज राधाकिशन आयु 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. सीताराम आत्मज राधाकिशन आुय 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. मथुरा आत्मज लखा आयु 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. गणेश पुत्र मोती जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. शरमा बाई बेवा मोती जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. विमल नाबालिग पुत्र मोती आयु 13 वर्ष जाति मीणा जरिये वली माता शरमा बाई पत्नी मोती निवीस ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. प्रेम बाई पुत्री केसरा पत्नी कजोडमल जाति मीणा निवासी ग्राम बिजलबा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नटी बाई पुत्री केसरा पत्नी शंकर जाति मीणा हाल निवासी ग्राम बणसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. नाथी पुत्री केसरा पत्नी मोती जाति मीणा निवासी निवासी ग्राम खजूरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. लादू लाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. तुलसा बाई पत्नी भैरूलाल आयु 65 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
7. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/545

1. सूरजा उर्फ सूरजमल आत्मज कल्याण आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोजीराम आत्मज जगदीश आुय 35 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हनुमान आत्मज जगदीश आयु 32 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. प्रेम बेवा जगदीश आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. काली बेवा राधाकिशन आयु 65 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. शौभाग आत्मज राधाकिशन आयु 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. सीताराम आत्मज राधाकिशन आुय 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. मथुरा आत्मज लखा आयु 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. गणेश पुत्र मोती जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. शरमा बाई बेवा मोती जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. विमल नाबालिग पुत्र मोती आयु 13 वर्ष जाति मीणा जरिये वली माता शरमा बाई पत्नी मोती निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. प्रेम बाई पुत्री केसरा पत्नी कजोडमल जाति मीणा निवासी ग्राम बिजलबा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नटी बाई पुत्री केसरा पत्नी शंकर जाति मीणा हाल निवासी ग्राम बणसोली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. नाथी पुत्री केसरा पत्नी मोती जाति मीणा निवासी निवासी ग्राम खजूरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. लादू लाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. तुलसा बाई पत्नी भैरूलाल आयु 65 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोढी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
7. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री सावन कुमार शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपलों का निर्णय एक एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 03 किता की 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 388 की रकबा 04 बीघा भूमि इसी गॉव में स्थित है । ग्राम मानपुरा में ही कुल 11 किता की रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है एवं खसरा नम्बर 153 रकबा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 10 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 11 लादूलाल के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की भूमियॉ हैं । वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी वादिनी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 12 तुलसा बाई के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की है । वादपत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित आराजी वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की भूमि है । वादग्रस्त आराजियात में चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी की जमाबन्दी में वादिनी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की माता स्व0 सांवली बेवा केसरा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हो रहा है । वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमियों के वर्तमान रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादिनी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 की मात सांवली बेवा केसरा का ही नाम दर्ज चला आ रहा है । सांवली की मृत्यु सन् 1996 में ही हो गयी थी । उसके वैध वारिसान वादिनी व प्रतिवादी कम 1 व 2 ही हैं । वादिनी उक्त भूमि की स्वयं को प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के साथ–साथ सहखातेदार आसामी घेषित करवाने की अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादिनी वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 12 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित भूमियों पर वादिनी को प्रतिवादीगण कम व 2 एवं 11 के साथ सहखातेदार आसामी घोषित किया जावे। वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि का वादिनी एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 एवं

प्रतिवादिनी संख्या 12 के मध्य वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों का वादिनी व प्रतिवादीगण कम 1 से 10के मध्य एवं वादपत्र की चरण सं,ख्या 04 में वर्णित भूमि का वादिनी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य अपने–अपने हिस्सों के अनुसार विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमियों पर वादिनी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण कम 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पबान्द फरमाया जावे कि वादिनी को विभाजन में प्राप्त भूमि पर से वादिनी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें तथा वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण और न ही अपने किसी प्रतिनिधि करे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.07.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक पारित जारी की तथा प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 10.11.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 03 लगायत 10 एवं गणेश पुत्र मोती, शरमा बाई बेवा मोती एवं विमल नाबालिग ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पारिवारिक शजरे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में राधाकिशन का पुत्र मोती जिसकी मृत्यु हो चकी है जिसके वारिसान अपीलान्ट कम 09, 10 व 11 को पक्षकार नहीं बनाया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिक डिक्री पारित की है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

7. न्यायालय हाजा में अपीलान्ट कम 09, 10 एवं 11 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि पारिवारिक शजरे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र चलाने के लिए आवश्यक पक्षकार थे परन्तु उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से पीडित पक्षकार हैं जिन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट कम 09, 10 व 11 जो कि मृतक मोती के वारिसान हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण कम 09, 10 एवं 11 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी

हल्का के द्वारा पत्थरगढी के लिए मौके पर आने पर दिनांक 09.08.2018 को दी गई जिस पर दिनांक 14.08.2018 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2015 से दिनांक 17.08.2015 की तारीख पेशी दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 08.07.2015 को लोक अदालत में अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित की और दिनांक 10.112016 को अंतिम डिक्री पारित की । अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । मोती लाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान अपीलान्ट क्रम 09, 10 एवं 11 को पक्षकार नहीं बनाया गया है । पारिवारिक शजरे के अनुसार केसरा जी को बंटवारे में अलग जमीन दे रखी है जिस तथ्य को छुपाकर दावा पेश किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 को पारित की गई है । अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 को पारित की गई है अपील संन् 2018 में पेश की गई जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया था उन्होंने अंतिम डिक्री के पश्चात् आराजी क्रय की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक एंव अंतिम डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 बहाल रखे जावें ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी इसमें दिनांक 17.08.2015 की तारीख दी गई थी । इससे पूर्व ही दिनांक 08.07.2015 को पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी प्रेमबाई प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की उपस्थिति दर्ज करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है और विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । दिनांक 10.11.2016 को विभाजन की जो अंतिम डिक्री पारित की गई है उसमें भी प्रतिवादीगण को आपत्ति पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का ने तैयार किये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के

अनुसार स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान ने हस्ताक्षर करने से मना किया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है ।

14. जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है अपीलान्ट के द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.08.2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को नियत तिथि से पूर्व ही पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री पारित की गई थी वो विधि– विरूद्ध थी और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अवैध होता है उनके लिए लिमिटेशन का प्रश्न गौण हो जाती है । तद्नुसार इस प्रकरण में हम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना उचित समझते हैं और प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/544 एवं 18/545 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.2.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा